निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 11) पटना, वृहस्पतिवार, 5 जनवरी 2012

गन्ना उद्योग विभाग

———————

आदेश

4 जनवरी 2012

सं0 रिमाण्ड संख्या 01/2011–12– 36—रिमाण्ड वाद संख्या 01/2011–12 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील केस नम्बर–04/2010–11 मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा बनाम गन्ना आयुक्त, बिहार एवं अन्य में दिनांक 02 सितम्बर 2011 को पारित न्याय निर्णय द्वारा अपील वाद में ईखायुक्त के यहाँ पुनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया गया है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा उस क्रम में ईखायुक्त को निम्न आदेश दिया गया है :–

"Claims and counterclaims make up an interesting reality of the present scenario. Both factories want to increase the number of crushing days. What is not under dispute is the fact that both have been operating below their capacity because of non availability of cane. If there are shortages, it should be evenly distributed. The Cane Commissioner is undertaking an exercise of fresh demarcation of reserve area. Lauria sugar mill has also come up in the area and will be starting crushing from the present season. Naturally a fresh exercise for demarcation of the area will have to be undertaken. Hence, the matter is remanded to the Cane Commissioner who is the competent authority to consider the claims and counterclaims of these two sugar mills- Harinagar and Bagha as well as the new sugar mill in the area and decide on just and equitable distribution of reserve area , keeping in mind the crushing capacities of these mills."

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित निदेश में यह अंकित है कि ईखायुक्त अपीलार्थी मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा प0 चम्पारण, प्रतिवादी हरिनगर सुगर मिल्स हरिनगर, प0 चम्पारण एवं उस गन्ना क्षेत्र में नये पनपे लौरिया चीनी मिल की पेराई क्षमता तथा ईख की उपलब्धता हेतु आवश्यक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उस उपरोक्त तीनों चीनी मिलों के दावे एवं प्रतिदावे को ध्यान में रखकर उचित एवं समानुपातिक रूप से क्षेत्रों के आरक्षण पर निर्णय लिये जाने का निदेश अंकित है।

सुनवाई के दौरान तीनों चीनी मिलों द्वारा ग्राम–पकड़ी, थाना नं0–398 अंचल भितहाँ, प0 चम्पारण को अपने–2 मिल की पेराई क्षमता एवं उस आलोक में पेराई हेतु गन्ने की कम उपलब्धता का रोना रोते हुए तथा

उसके समीप एवं सटे हुए का दावा समर्पित करते हुए अपने–अपने पक्ष में दलील देते हुए आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के क्रम में चालू पेराई सत्र 2011–12 के लिये इन तीनों चीनी मिलों के अपेक्षित ईख मात्रा (N.C.R) एवं पेराई हेतु संभावित गन्ने की उपलब्धता का भी अवलोकन किया गया तथा उसे निम्न रूप में पाया गया :–

क्र0 सं0	चीनी मिल का नाम	पेराई क्षमता	परम्परागत/अपरम्परागत रूप में कुल आरक्षित ग्रामों की संख्या	N.C.R (लाख क्विंटल में)	गन्ने की उपलब्धता (लाख क्विंटल में)
1	तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा	3500 TCD से 5000 TCD तक विस्तारित।	302	45.96	52.17
2	हरिनगर सुगर मिल्स हरिनगर, प0 चम्पारण	10000	418	136.47	95.00
3	लौरिया सुगर मिल	3500	171	45.50	32.36

इस संदर्भ में तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के क्रम में यह स्पष्ट किया गया कि उनका N.C.R गत वर्ष के उनके पेराई क्षमता एवं उसके अंतर्गत किये गये पेराई पर आधारित है, परन्तु उसके पश्चात् उन्होंने अपने पेराई क्षमता का 7000 TCD तक विस्तारित करने का कार्य कर लिया है तथा उनके द्वारा चालू पेराई सत्र में बढ़े हुए पेराई क्षमता में पराई का प्रदर्शन भी किया जाएगा तथा उस आलोक में उनका N.C.R तथा गन्ने की आवश्यकता बढ़ेगी।

प्रस्तावित ग्राम–पकड़ी, धनहाँ क्षेत्र अंतर्गत भितहाँ अंचल में अवस्थित है। उससे सटे योगापट्टी मधुबनी, भितहाँ एवं बगहा अंचल के ग्रामों का इन चीनी मिलों के बीच वर्तमान में हुए आरक्षण का नक्शे पर भी अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि इन तीनों चीनी मिलों के बीच क्षेत्रों के आरक्षण में निरन्तरता का अभाव है। पेराई क्षमता के अनुरूप क्षेत्र का आरक्षण अनुपातिक रूप से नहीं होने की भी बू आती है।

ग्राम–पकड़ी, थाना नं0–398 को नक्शे पर देखने से यह परिलक्षित होता है कि ग्राम–पकड़ी, थाना नं0–398 के उत्तर एवं पश्चिम में गुरवलिया, (थाना नं0–394) स्थित है, पूरब में चनराहा, (थाना नं0–399) स्थित है एवं दक्षिण में कउवार थाना नं0–400 स्थित है जो मेसर्स हरिनगर चीनी मिल के साथ आरक्षित है अर्थात ग्राम–पकड़ी लगभग चारो ओर से हरिनगर चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के बीच स्थित है। इस मिल की पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता एवं आरक्षित क्षेत्र का रकबा भी अनुपातिक रूप से कम है।

उपरोक्त स्थिति में ग्राम पकड़ी (राजस्व थाना नं0– 398, अंचल भितहाँ) की भौगोलिक स्थिति के आलोक में उसे चारो ओर से हरिनगर चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से घिरे होने के कारण तथा इस मिल को पेराई हेतु गन्ने की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से उसे मेसर्स हरिनगर चीनी मिल को अपरम्परागत रूप में पेराई सत्र 2011–12 से 2013–14 तक तीन वर्षों के लिये आरक्षित किया जाता है।

आदेश से,
लक्ष्मेश्वर झा,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 11-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in